न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
083/2021 (नि.पं.) (GCMS 2021/83)	**24.09.2021**	**18.12.2025**

अनवान

1. शंकरलाल पिता श्रीचतरभुज जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. माधुलाल पिता श्रीचतरभुज जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकारान

बनाम

1. श्रीमती मांगीदेवी पिता माधुलाल लाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम इन्दौरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत सांखली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांखली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

गैर–निगराकारान

उपस्थिति :–	जितेन्द्र औझा (वक्त बहस अनुपस्थित)	निगराकारान
	राकेश पुरी गोस्वामी	गैर–निगराकार संख्या 1
	राजकुमार वैष्णव	गैर–निगरकार संख्या 2

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 पट्टा संख्या 105 एवं मिसल संख्या 043 दिनांक 22.11.2017 की अनुपालना दिनांक 05.08.2019

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि निगराकारान ने एक निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के विरूद्ध अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.08.2019 जो कि गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया हैं के संबंध में प्रस्तुत की गई हैं।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 10.12.2021 को गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 09.06.2022 को गैर–निगराकार संख्या 01 की औैर से जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर है। दिनांक 01.04.2022 को गैर–निगराकार संख्या 02 की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। ग्राम पंचायत सांखली के पत्रांक/ग्रा.पं./निगरानी/ 2024–25/10 दिनांक 18.05.2024 से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में दिनांक 18.12.2025 को अधिवक्ता गैर–निगराकार अनुपस्थित रहे। प्रकरण लम्बे से वास्ते बहस नियत होने से प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु रखा गया एवं हाजिर गैर–निगराकारन द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

निगराकार ने अपने निगरानी मेमों में अवगत कराया गया है कि विवादित भूखण्ड जिसका पट्टा विपक्षी संख्या 01 को दिनांक 22.11.2017 को संकल्प संख्या 02 की अनुपालना में दिनांक 05.08.2019 को तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को 20 बाई 65 कुलिया क्षेत्रफल 1300 वर्गफीट का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत राशि 2600/– रूपये से पट्टा जारी किया। उक्त पट्टा गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में गैर–निगराकार संख्या 02 ने पंचायती राज के बने नियमों एवं अधिनियमों की अनदेखी कर तत्कालीन सरपंच ने अपने हितेशी व्यक्तियों एवं पारिवारिक सदस्य एवं समाज के होने से पट्टा जारी किया। गैर–निगराकार संख्या 01 को जिन पडौसों के मध्य की सम्पत्ति का पट्टा जारी किया वह पडौस नये जारी पट्टे के अनुसार है। जिसमें एक पट्टे से दूसरे पट्टे के अनुसार पडौस अंकित कर रखे है। जिसमें उक्त विधि विपरित रूप से जारी पट्टा किस स्थान का किस गांव का किस आराजी का है। इस संबंध में गैर निगराकार संख्या 02 ने पट्टे पर कई उल्लेख नहीं किया।

जहां गैर–निगराकार पटटे के अनुसार भूमि बता रहा एवं भूमि मुझ निगराकार की पुश्तैनी सम्पति होकर पीढ़ी–दर पीढी 100 वर्ष से अधिक समय से उपयोग उपभोग कर रहा है। एवं गैर निगराकार को ग्राम पंचायत सांखली गैर–निगराकार संख्या 02 ने दिनांक 22.11.2017 को संकल्प संख्या 02 की अनुपालना में दिनांक 05.08.2019 को पट्टा संख्या 105 मिसल संख्या 043 के अनुसार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुऐ नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया। नियम 158 में प्रावधान है कि कोई गरीब व्यक्ति या भूमिहीन व्यक्ति अथवा गाडिया लौहार एवं कमजोर वर्ग के व्यक्ति को ही ग्राम पंचायत आवंटन कर सकती है। लेकिन गैर–निगराकार संख्या 01 के पास मकान बने होकर 01 बाडा मवेशी बाधने का है। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 उक्त नियम 158 में पात्रता नही रखता है। फिर भी गैर–निगराकार संख्या 02 ने गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे विधि एवं नियमों की अवहेलना कर पटटा जारी किया जो निरस्त योग्य है।

गैर–निगराकार संख्या 02 ने गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी किया। उक्त पटटा के उपरी भाग पर दिनांक 22.11.2017 को पटटा जारी होना लिखा हुआ होकर संकल्प संख्या 02 की अनुपालना दिनांक 05.08.2019 को की गई। इस प्रकार पट्टा मिसल कायम नहीं होने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के पूर्व ही गैर–निगराकार संख्या 02 ने गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया जो नियमो की अनदेखी कर जारी किया जो निरस्त योग्य है। गैर–निगराकार संख्या 01 एवं गैर–निगराकार संख्या 02 ने मिलीभगत कर मात्र दिखावटी हेतु निगराकार की कब्जे एवं पुश्तैनी सम्पति पर उक्त पट्टे के आधार पर कब्जा करने की नियत से गैर–निगरकार संख्या 01 ने यह बनावटी एवं दिखावटी पट्टा गैर–निगराकार संख्या 02 से बनाया है। गैर–निगरकार संख्या 02 ने नियमो एवं मौके की स्थिति को नहीं देख कर मात्र ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठे–बैठे ही पूरी कार्यवाही कर मात्र निगराकार को परेशान करने की नियत से नियमों के विपरित पट्टे जारी किये जो निरस्त योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि निगराकारान की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर–निगराकार संख्या 01 को जारी पट्टा दिनांक निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज के बने नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार ही पट्टा जारी किया गया है। पारिवारिक सदस्य एवं समाज के होने से पट्टे जारी नहीं किये गये। प्रार्थी व विपक्षी भी एक ही समाज के है। पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली तैयार की जाती है। उक्त पत्रावली में पट्टा किस स्थान, किस गांव का है इस संबंध में पूर्ण जानकारी होती है। पट्टे वाली भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति ना होकर पंचायत की आबादी भूमि है एवं पंचायत द्वारा पात्र व्यक्ति को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर भूमि दी जाती है जो नियमानुसार दी गई है। निगराकार में निगरानी में गलत तथ्य अंकित कर गलत निगरानी पेश की जो कि सव्यय खारीज किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 पट्टे अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने नियमों की पूर्ण पालना की गई है। अंत में प्रार्थना की गई कि जवाब पेश है जिसे स्वीकार किया जाकर निगरानी खारीज फरमाई जावें।

इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर–निगरकार संख्या 02 ने अपनी बहस में निवेदन किया अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों एवंि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के तहत नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई है। ग्राम पंचायत सांखली द्वारा निगराधीन पट्टे के संबंध में नियमों के परिपेक्ष्य में कार्यवाही संपादित की जाकर पट्टा जारी किया गया है, उक्त पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार संख्या 02 द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया :–

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)पराविं/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान के प्रावधान किये गये है। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 140 से 168 तक में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। हमने नियम 158 व 159 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

158. **Allotment of lands to weaker sections.-**

(1) The Panchayat may allot Abadi land up to [300 sq. yards]in village Abadis at concessional rate to members of Scheduled

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Caste, scavengers, Scheduled Tribes, Backward Classes, village artisans, landless persons dependent on wage labour, IRDP selected families, Handicapped, Nomatic Tribes, Gadia Lohar who do not own house sites/house and also to flood victims whose house have been washed away or the house sites have been rendered unfit for future habitation due to floods [and patta of such land may be issued in Form XXIII-C]

[IA. the Panchayat may allot abadi land upto [300 Sq. Yards] in village Abadi at concessional rate to ex-service men in bordering Panchayat Samiti areas.]

(1)	Rates to be charged from such allottees will be as under :		
	(a)	In villages having population less than 1000 (1991 census).	Rs. 2/- per sqr. mtr.
	(b)	In villages having population from 1001 to (1991 census).	Rs. 5/- per sqr. mtr. 2000
	(c)	In villages having population more than 2000 (1991 census).	Rs. 10/- per sqr. mtr.

Provided that the State Government may allot such lands free of charges to any such category of persons.

[Provided further that in case of allotment of abadi land to the families of below poverty line, the Panchayat may allot the land free of charge.]

[(2-A) The Panchayat may allot Abadi land upto 300 Sq. Yards free of charge to nomadic sheep reares.]

[(2-B) The State Government may allot Abadi land to oustees of irrigation project, equal to the house sites or house owned by them subject to maximum of 300sq. yards free of charge.]

(2) Abadi land allotted free of charge shall be non-transferable. A seal in block letters "NOT FOR SALE" shall be affixed on the face of all such Pattas. In case any allottee transfers on sells such house site/house to any other persons, allotment shall automatically stand cancellation, ownership shall vest in the Panchayat along with construction or material lying thereon and transferee will be ejected to trespasser on such Abadi Land.

[(3A) Thirty percent of Land allotted under this rule shall be allotted to widows and divorce women.]

(4) Panchayat may however by a resolution in the meeting, decide to allot such land by negotiation to such trespasser on market price on compassionate grounds.

(5) The allottee shall be debarred form any subsequent allotment in future

(6) Provisions contained in Sub-rules (3), (4) and (5) shall also be applicable for shop sites allotted to Scheduled Caste and Scheduled Tribes etc., in Panchayat areas.

(7) For allotment of houses sites to flood victims at another place/places, the Panchayat concerned shall invite applications from such persons along with an undertaking that in case of allotment of house sites at another place/places, the house sites washed away in flood aiong with material shall vest in the Panchayat concerned free from all encumbrances.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

159. **Allotment of lands on concessional price.-**

(1) The Panchayat may allot plots up to 500 sq. yards from Abadi land available with to Ex-Service Military Personnel (Non-commissioned ranks) who do not own any Abadi land on priority basis, at 50% of the market price as mentioned in Sub-rule (5) of Rule 152.

[(2) The Panchayat may also allot plots upto 1500 sq. yards in abadi area, on priority basis, for construction of godowns/ offices to-

(i) Primary Agricultural Cooperative Society/Large Sized Multipurpose Marketing Society, at 50% of the Market price as mentioned in sub-rule (5) of Rule 152;

(ii) Gram Sewa Sahakari Samiti or Kray Vikary Sahakari Samiti, free of charge subject to confirmation by the State Government.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में नियम 140 से नियम 159 तक में भूखण्डों के प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है, जो कि बाध्यकारी है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 नियम 158 में भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत गांव आबादियों में 150 वर्ग गज की की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनमें गृह–स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। उप–नियम 2 में वसूली योग्य दरे प्रावधित की गई है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। उप–नियम 3 के तहत इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बडे अक्षरों में **''विक्रय के लिए नहीं''** की मुहर लगाई जायेगी। नियम 159 में भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत उसमें उपलब्ध आबादी भूमि में से 500 वर्ग गज तक के भूखण्ड पूर्विकता के आधार पर भूतपूर्व सेना के ऐसे कर्मियों को (जो कमीशंड रैंकों के नहीं है) जिनके पास किसी भी आबादी भूमि में स्वयं का मकान नहीं है, नियम 152 के उप–नियम (5) में उल्लिखिति बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रार्थी/निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में मुख्य रूप से न्यायालय के विचारणार्थ विवादित भूखण्ड का कब्जे में होने एवं निगराधीन पट्टे की प्रक्रियात्मक त्रुटि के बिन्दु उठाये गये है। जहां तक विवादित भूखण्ड का कब्जे में होने का प्रश्न है इस संबंध में प्रार्थी/निगराकार द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से विवादित भूखण्ड पर काबिज होने के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। केवल मात्र अभिवचनों से इस तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में नियमों में भूखण्डे के पट्टा जारी किये जाने के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है, जो कि बाध्यकारी है। हस्तगत निगराधीन पट्टा कमजोर वर्गो को आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायत गांव आबादियों में 150 वर्ग गज की की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों का आवंटित कर सकती है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख पर उपलब्ध नियम 147 के तहत गठित समिति की रिपोर्ट की अनुशंषा के आधार पर ही पट्टा जारी किया जाना प्रतिवेदित होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार कोई ठोस आधार पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा निगरानी के माध्यम से ग्राम पंचायत सांखली पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी पट्टा पट्टा संख्या 105 बुक संख्या 003 दिनांक 05.08.2019 के संबंध में निगराकार अपनी निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कराये जाने में पूर्णतया असफल रहे हैं, जिससे निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होकर एवं सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांखली का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के मार्फत विकास अधिकारी राशमी के भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.12.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official